संस्थान नियम

1. संस्था के पदाधिकारियों को संस्था के संविधान और नियमावली का पालन करना अति आवश्यकत है।

2. संस्था खुलने का समय सुबह 10.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक रहेगा।

3. संस्था में रजिस्ट्रेन करवाना अनिवार्य है।

4. संस्था का वार्षिक बजट तैंयार करना अनिवार्य हैं

5 संस्था की नियमित बैठके होना अनिवार्य है।

7. संस्था के सभी पदाधिकारियों एवं लीडर सभी के लिये ईमानदारी से कार्य करना अनिवार्य है।

<u>संविधान से समाधान</u>

प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आपका धन्यवाद। इस कार्यशाला का उद्देश्य है कि सभी नागरिक संवैधानिक मूल्यों को अपने जीवन और समुदाय में अपनाने का प्रयास कर पाएँ।

इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कार्यशाला को दोहराने में मददगार होने वाले मुख्य बिंदू एवं टूल्स इस प्रकार है–

विषय	प्रष्ठ संख्या
मुख्य बिंदु	1
कार्यशाला से सम्बन्धित टूल्स – मेरे कमिट्मेंट – हम भारत के लोग कार्यशाला मोड्यूल	

टीम प्रबन्धन

संस्था के उद्देश्य

संस्थान का मुख्य उद्देश्य है स्वास्थ्य से सम्बन्धित परियोजना पर काम करना जैसे कि स्वच्छता अभियान या मानसिक स्वास्थ्य जागरुकता।

संस्था के नियम

1. हमारी संस्था स्वास्थ्य सेवा प्रदान करेगी।
2. समुदाए के साथ सहयोग करेगी।

शैक्षिक और अनुभव सम्बन्धित शर्ते–

1. अनुभव–वरिष्ठ पदों या स्नातक के साथ सारे दस्तावेज जमीनी स्तर पर 2 वर्ष कार्य किया हो।
2. क्षेत्रीय कार्य– सामाजिक क्षेत्र में कार्य एवं जमीनी स्तर पर कार्य करे वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जायेगी।
3. हिन्दी और अंग्रेजी भाषा में दक्षता आवश्यक है, स्थानीय भाषा।
4. सत्य, निष्ठा और नैतिकता लीडर को ईमानदारी पारदर्शी और नैतिक रूप से अडिग होना चाहिऐं।
5. संवैधानिक मूल्यों के प्रतिबद्धता–संस्था ऐसे लीडर चाहती है जो सामाजिक न्याय, समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे पर विश्वास रखते हो।
6. सहानुभूमि और विनम्रता–अंहकार से मुक्त जो दूसरों के प्रति सहानुभूति रखता हो।
7. कार्यात्मक शर्ते–यात्रा के लिऐ तैयार, जिलो और दूर–दराज के क्षेत्रों में।

संस्था के प्रशिक्षण

1. स्वास्थ्य एवं स्वच्छता अभियान

1. स्वास्थ्य एवं स्वच्छता अभियान के तहत तालबेहट में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समाज कल्याण बेरोजगार एवं मजदूर सेवा संस्थान द्वारा महिलाओं एवं किशोरियों के बीच सेहत से जुड़ी जानकारी दी। इसी के साथ माहवारी या (मासिक धर्म) पर संस्था के पदाधिकारियों ने विस्तार पूर्वक चर्चा की एवं सेनेटरी पेड वितरित किये।

2. एड्स, कैन्सर, पोलियों, टी0बी0 हेपेटाइटिस, मधूमेह, आदि जानलेवा बीमारियों की पहचान, रोकथाम हेतु जागरूकता शिविरों के माध्यम से लोगों को सचेत करना।

3. जन हितार्थ निःशुल्क धर्मार्थ–चिकित्सालय, मोबाइल चिकित्सालय, अनाथालय, छात्रावास, व्यायामशाला, विधवा आश्रम, वृद्धा आश्रम, शिशुपालन गृह, बालवाड़ी पार्क, सौन्दर्यीकरण अतिथि गृह आदि की निःशुल्क व्यवस्था करना।

2. शिक्षा

    1. लोगों में शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूक करना।

    2. शिक्षा के लिए प्रेरित करना।

संस्था के प्रशिक्षण

3 शिक्षा के लिए आवश्यक संसाधनों की जानकारी प्रदान करना।

4. शिक्षा के लिऐं जागरूकता अभियान के तहत गतिविधियों का आयोजन करना।

5. शिक्षा के महत्व पर सेमिनार का आयोजन करना।

6. शिक्षा के लिये प्रेरक कहानियां सुनाना।

7. शिक्षा के लिये जागरूकता रैली निकालना।

8. शिक्षा के लिये आवश्यक संसाधनों की जानकारी प्रदान करना।

9. शिक्षा के लिये प्रेरित करने के लिये पोस्टर बनाना।

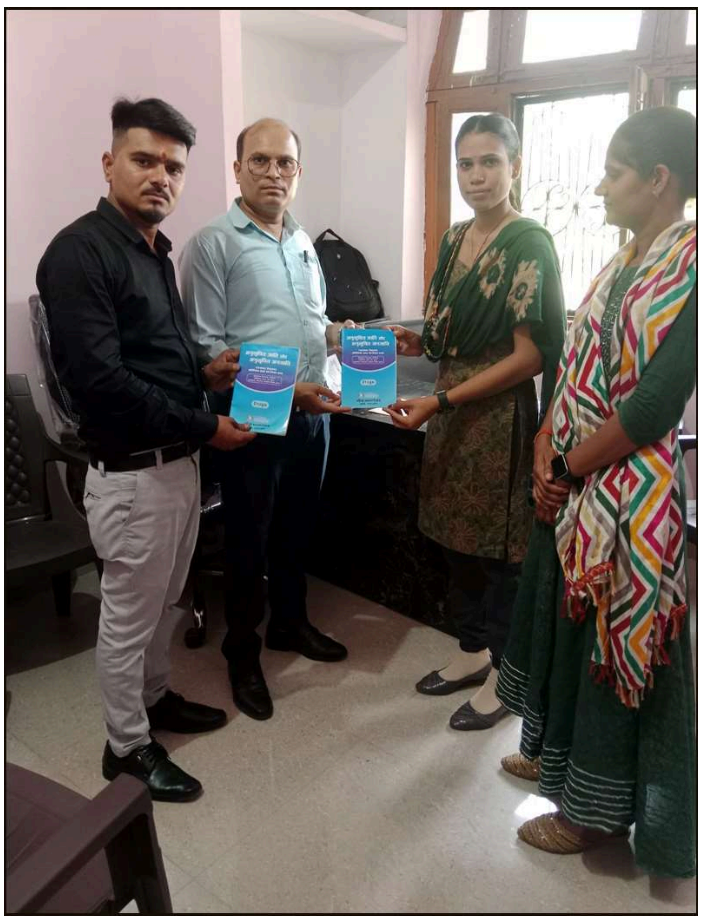

समानता

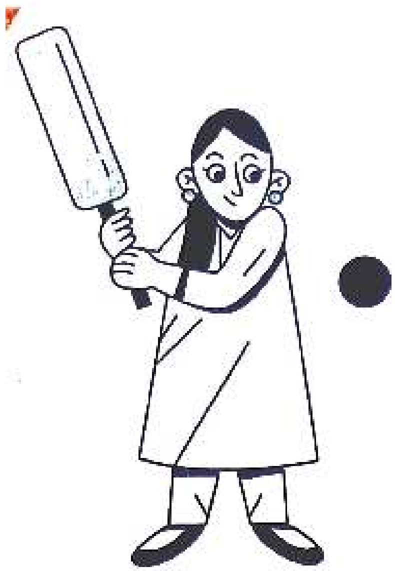

=

=

स्वतंत्रता

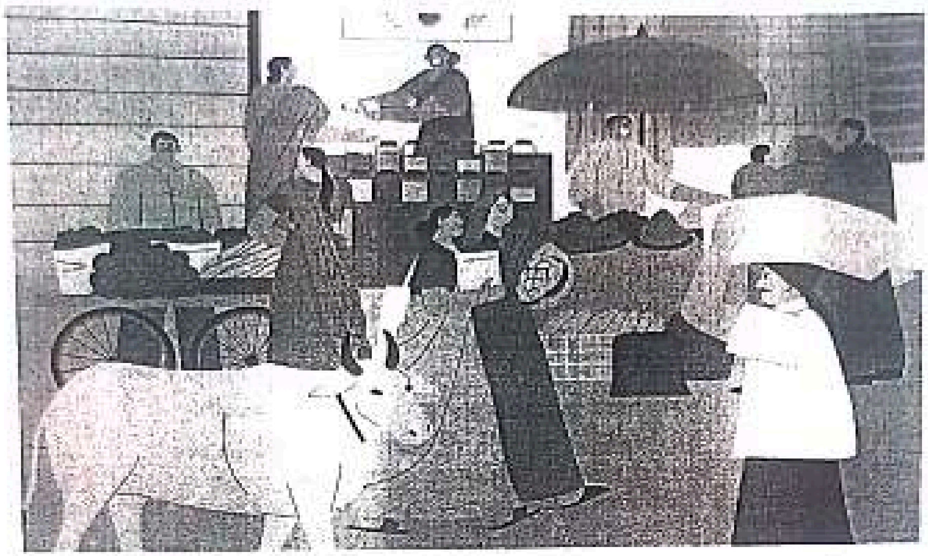

न्याय

बंधुत्व

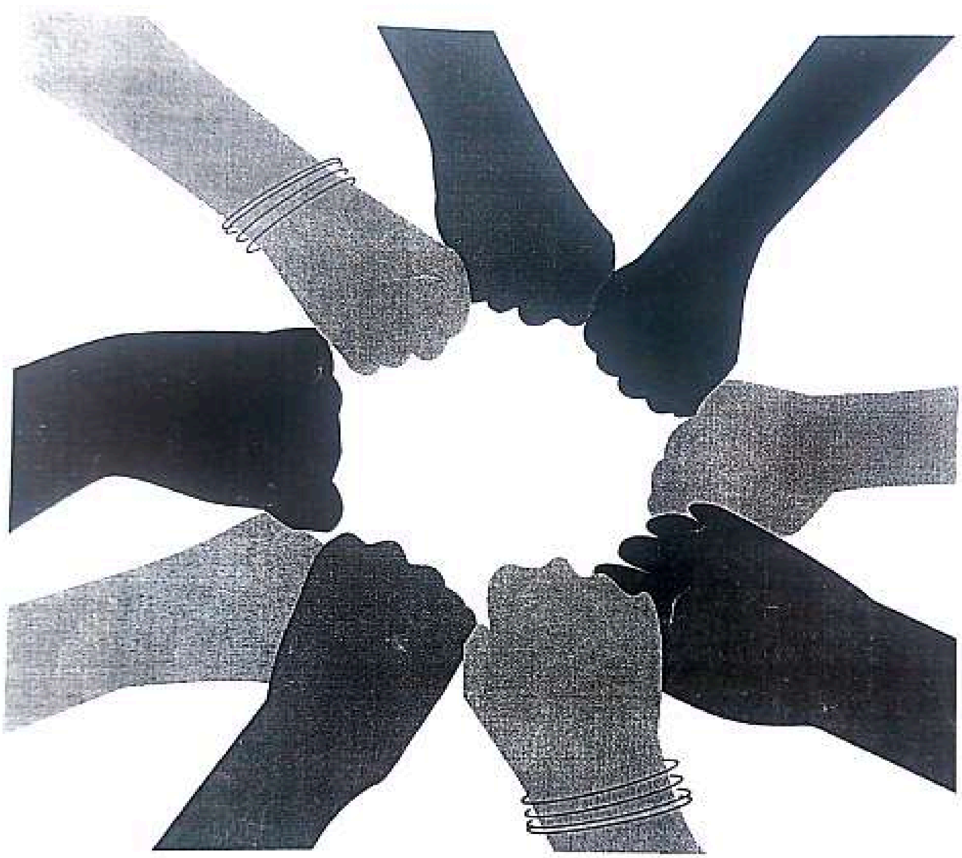

स्वरोजगार /कौशल प्रशिक्षण

1. बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना।
2. कौशल विकास के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना।
3. आर्थिक विकास में योगदान देना।

कौशल प्रशिक्षण के नियम और शर्ते

योग्यता– 15–45 वर्ष के बीच की आयु, बेरोजगार युवा स्कूल/कॉलेज छोड़ने वाले।

दस्तावेज–आधार कार्ड, अन्य मान्य आई0डी0 प्रूफ, बैंक खाता इत्यादि।

प्रशिक्षण–उद्योग विशिष्ट कौशल प्रशिक्षण जैसे मेसन सिंलाई सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण आदि।

प्रशिक्षण केन्द्र– प्रधानमंत्री कौशल प्रशिक्षण, राज्य कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित।

प्रोत्साहन– सफल स्किल सर्विफिकेशन पर मुक्त प्रशिक्षण और मौद्रिक प्रोत्साहन।

विशेष–
1. स्वामी विवेकानन्द युवा संशक्तिकरण योजना।
2. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना।
3. उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन योजना।
4. कौशल दिशा

वृक्षारोपण

1. इसमें पेड़–पौधें लगाऐं जाजते है जिससे पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद मिलती है
2. पर्यावरण संरक्षण
3. जलवायु परिवर्तन को कम करना।
4. जल संसाधनों का संरक्षण
5. समुदाए के स्वास्थ्य यको बेहतर बनाना।
6. जैव विधिकता को बढ़ावा देना।

<u>नशा मुक्ति कार्यक्रम-</u>

नशा मुक्ति कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य लोगों को नशे से मुक्त करना और एक स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेषित करता है।

<u>नशा मुक्ति के प्रमुख उद्देय–</u>

1. नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना।
2. नशे की लीलम से बचने के लिऐ लोगो को शिक्षित करना।
3. नशे के आदि लोगों को उपचार और पुर्नवास सेवाऐं प्रदान करना।
4. नेशा के आदि को समाज में पुनः एकीकृत करना।
5. नशे के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए समुदाए को सशक्त बनाना।

नशा–मुक्ति कार्यक्रम के तहत की जाने वाली गतिविधि–

1. जगरूकता
2. शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम
3. नशा मुक्ति केन्द्रो की स्थापना।
4. उपचार और पुर्नवास सेवाऐ प्रदान करना।
5. समुदाय को सशक्त बनाना।

बैठक–2

समाज कल्याण बेरोजगार एवं मजदूर सेवा संस्थान द्वारा उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के ब्लॉक विरधा में ग्राम पंचायत बछलापुरा में एक सार्वजनिक स्थान पर शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें केन्द्र सरकार और राज्य सरकार, अर्द्धसरकारी, प्राइवेट कम्पनियों में कार्यरत मजदूरों को स्वास्थ्य से जुड़ी हुयी सरकारी जन औषधी दवाओं के बारे में ललितपुर जिले के स्वास्थ्य अधिकारी एवं स्टाफ नर्स ने विस्तार पूर्वक जानकारी दी और ब्लड की जॉच, सी0बी0सी0 की जॉच निःशुल्क की गई और साथ ही साथ ग्राम पंचायत की महिलाओं एवं किशोरियों के लिऐ समाज कल्याण बेरोजगार एवं मजदूर सेवा संस्थान के माध्यम से निःशुल्क पेड, सेनेटरी पेड वितरित किये।

इसी के साथ संस्थान के प्रबन्धक जी ने वहां के लोगों के स्वास्थ्य पर विस्तार पूर्वक विचार रखें।

बैठक–2

1. आज दिनांक 17.07.2023 में ग्राम पंचायत व तहसील महरौनी में समाज कल्याण बेरोजगार एवं मजदूर सेवा संस्थान के माध्यम से गॉव के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति एवं ओ0बी0सी0 समुदाए के लोगों के साथ बैठक का आयोजन किया गया है। जिसमें श्रमिको को मनरेगा–महात्मा गॉधी गारन्टी योजना के तहत ग्रामीण के सभी श्रमिकों कों श्रम अधिकार, रोजगार के अवसर देने और मनरेगा के तहत 100 दिन श्रम कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया।
2. इसी के साथ श्रमिकों के अधिकारों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई जिसमें श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का अधिकार जो सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है उसके तहत श्रमिको को आमतौर पर 8 घण्टे प्रतिदिन कार्य करने का समय निर्धारित है।
3. ओवर टाइम कार्य करने वाले श्रमिकों को अतिरिक्त मजदूरी का अधिकार प्राप्त है।
4. छुट्टी– श्रमिको को साप्ताहिक, वार्षिक और मेडिकल अवकाश का अधिकार प्राप्त है।
5. सुरक्षा एवं स्वास्थ्य–संस्थान के सचिव जी द्वारा श्रमिकों के लिए सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को लेकर बताया कि श्रमिकों को सुरक्षित और स्वस्थ, काम के वातावरण का अधिकार प्राप्त है।

6. प्रसूति लाभ– महिलाओं श्रमिकों को प्रसूति लाभ का अधिकार प्राप्त है।

7. पेंशन और ग्रेच्युटी–श्रमिकों को पेंशन और ग्रेच्युटी का अधिकार प्राप्त है।

8. संघ बनाने का अधिकार–श्रमिकों को संघ बनाने का अधिकार है।

9. श्रम अधिकारियों के साथ मिलकर श्रमिको को उनके अधिकारों और लाभों के बारे में विस्तार पूर्व जानकारी दी।

बैठक-3

समाज कल्याण बेरोजगार एवं मजदूर सेवा संस्थान के माध्यम से ग्राम पंचायत सिलगन में दो दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छः ब्लॉक के लोगों ने भाग लिया। इसी के साथ ब्लॉक बार के लोगो, समाचार पत्र/पत्रिकाओं, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से निविदाओं की मजदूर व बेरोजगार को जनकारी उपलब्ध कराई।

1. समाचार पत्र–समाचार पत्र के माध्यम से बेरोजगार एवं मजदूरों के लिए उपलब्ध अवसरों और अधिकारों के बारे में लेख और विज्ञापन प्रकाशित कियें।

2. इलैक्ट्रॉनिक मीडिया–टी0वी0, रेडियों और ऑनलाइन मीडिया के माध्यम से मजदूरों और बेरोजगारों के लिए उपलब्ध अवसरों और अधिकारों के बारे में प्रसारित जानकारी दी।

3. सोशल मीडिया–सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे कि Whatsapp, Facbook, ट्विटर, इंस्ट्राग्राम पर मजदूरों और बेरोजगार के लिए उपलब्ध अवसरों और अधिकारों के बारे में जानकारी साझा की।

4. वेबसाइट समाज कल्याण बेरोजगार एवं मजदूर सेवा संस्थान Samajkalyanbms.in के माध्यम से जानकारी एवं अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई।

5. सामुदायिक केन्द्रो में मजदूरों और बेरोजगारों के लिए उपलब्ध अवसर और अधिकार के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी।

बैठक-4

समाज कल्याण बेरोजगार एवं मजदूर सेवा संस्थान के माध्यम से ग्राम पंचायत ऐरावनी में एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें गॉव से महिलाएँ, पुरूषों की अधिक से अधिक जनसंख्या शामिल हुयी।

1. समाज के मूक बाधिर, विकलांगों, मंद बुद्धि लोगों, नेत्रहीनों, विधवाओं, वृद्धों, मजदूरों, कारीगरों, बुनकरों, दस्तकारों, हस्तशीलियों, निराश्रित बेरोजगारों के कल्याण एवं उत्थान हेतु जानकारी साझा की।

2. विकलांग आवास योजना के तहत विकलांगों को 1.20 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसी के साथ–साथ 600 से 1000 तक की मासिक पेंशन आदि की सुविधा दी जाती है। शादी प्रोत्साहन योजना–नवविवाहित विकलांग दम्पत्तियों को 15000 से 35000 तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

3. हस्तशिल्पियों के लिये योजनाएँ– हस्तशिल्पियों को प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान करना हस्तशिल्प उत्पादों के लिये बाजार विकास की अनुमति प्रशासन के माध्यम से प्रदान करवाना आदि।

4. बुनकरों को नए डिजाइन, तकनीकि और व्यवसायिक कौशल के बारे में शिक्षित एवं जोड़ने का प्रयास किया गया है।

5. मार्केटिंग प्रचार–बुनकरों को ऑनलाइन और ऑफ लाइन प्लेटफार्म के प्रचार–प्रसार का साधन का जरिया देना।

6. ब्रेल शिक्षा– नेत्रहीन व्यक्तियों को ब्रेल शिक्षा प्रदान करना जिससे वे पढ़ और लिख सकें।

7. समर्थन समूह– नेत्रहीन व्यक्तियों को समर्थन समूह बनाने के लिए प्रेरित किया ताकि वे अपने अनुभवों को साक्षा कर सकें।

8. राइटस अवेयरनेस– नेत्रहीन व्यक्तियों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया ताकि वे अपने अधिकारों के बारे में जान सकें जैस कि शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं में समानता प्रदान की जा सकें।

9. सामाजिक समर्थन–वृद्धाओं और विधवाओं के लिए समाज कल्याण बेरोजगार एवं मजदूर सेवा संस्थान के माध्यम से सामाजिक समर्थन प्रदान करना जैसे कि–घरेलू कामों में मदद और साथ देना एवं पेंशन और कुछ अनुदान प्रदान करना।

10. सुरक्षा–वृद्धाओं और विधवाओं के लिए सुरक्षा का उपाय करना जैसे–पुलिस सेवा के बारे में जानकारी देना, घरेलू सुरक्षा के बारे में जानकारी दीं गई।

11. संचार–वृद्धाओं के लिए संचार के तरीको के बारे में जागरूक करना जैसे कि–फोन और वीडियों कॉल की सुविधा आदि।

12. समानता–वृद्धाओं और विधवाओं के साथ समानता के बारे में जागरूक करना जैसे कि–शिक्षा और रोजगारों में समान अवसर प्रदान करने की कोशिश की जायेगी।

बैठक–5

1. महिला सशक्तिकरण– बालिका सशक्तिकरण जनसंख्या नियत्रंण, दहेज प्रथा एवं कुप्रथाओं पर समाज कल्याण बेरोजगार एवं मजदूर सेवा संस्थान के माध्यम से ग्राम पंचायतों के लोगो के साथ एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण स्तर की महिलओं को शिक्षा और प्रशिक्षण करने के लिये जानकारी दी गई। जिससे वे अपने अधिकारों और अवसरों के बारे में जानकारी दी गई। संस्थान के संस्थापक द्वारा बताया गया कि महिला अधिकार, महिला स्वास्थ्य, महिला हिंसा, महिला नेतृत्व, महिला आर्थिक सशक्तिकरण, महिला सामाजिक सशक्तिकरण, महिला संगठन, महिला सशक्तिकरण के समर्थन के लिये प्रेरित किया गया है।

2. जनसंख्या नियंत्रण– लोगो को जनसंख्या नियंत्रण के बारे में जानकारी दी गई।

3. महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए और आगे जाने के लिए विस्तार पूर्वक चर्चा की गई।

4 महिलाओं को आगे जाने के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण के लिये प्रेरित किया गया।

5. महिला अधिकार–महिलाओं को अधिकारों के बारे में जागरुक करना और न्याय, सुरक्षा समानता दिलाने पर कार्य किया।

6. महिला स्वास्थ्य–महिला हिंसा, महिला नेत्रृत्व, महिला आर्थिक सशक्तिकरण, महिला सामाजिक सशक्तिकरण, समर्थन, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक सर्मथन करना।

बैठक–6 कुप्रथाएँ

आज दिनांक 27.08.2024 में दहेज प्रथा के खिलाफ अभियान का आयोजन ब्लॉक जखौरा में किया गया, जिसमें समाज कल्याण बेरोगार एवं मजदूर सेवा संस्थान के माध्यम से हिन्दू धर्म के अनुसार चली आ रही कुप्रथाओं पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई।

1. दहेज प्रथा जैसी सामाजिक बुराई को समाप्त करने के लिए विशेष प्रकार से जानकारी गॉव एवं नगरीय के लोगों को प्रेरित किया।

2. जागरूकता फैलाना–लोगों को दहेज प्रथा के नुकशान और इसके खिलाफ कानूनों के बारे में जागरूक करना।

3. शिक्षा और प्रशिक्षण–लोगों को शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना, जिससे वे दहेज प्रथम के खिलाफ लड़ सकें।

4. समुदाए की भागीदारी

5. महिला सशाक्तिकरण

6. पीड़ितों की मदद

7. दहेज प्रथाम के खिलाफ अभियान

8. स्कूलों में शिक्षा

9. महिला संगठनों का समर्थन

10. दहेज प्रथा के खिलाफ कानून

    1. महिलाओं की स्थिति में सुधार–
    2. समाज में समानता लाना–
    3. आर्थिक में समानता दिखाई गई–
    4. आर्थिक विकास–
    5. स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार करने को प्रेरित किया गया।

आज दिनांक 01.06.2025 दिन रविवार को एक संस्थान के सभी सदस्यों द्वारा बैठक की गई जिसमें विशेष प्रकार से संस्था के सभी सदस्य उपस्थित हुऐं, जिसमें दीपक बौद्ध, विजयती राही, संगीता गौतम, आरती सूर्यवंशी जी शामिल हुयी।

1. मीटिंग के दौरान संस्थान के कुछ मूल–भूत तत्वों पर चर्चा की गई जिसमें बताया गया कि हमें किन–किन मुद्दों पर बात करनी चाहिऐ।

2. स्वास्थ्य को लेकर कुछ जरूरी जानकारी दीं गई।

आज दिनांक 01.06.2025 दिन रविवार को एक संस्थान के सभी सदस्यों द्वारा बैठक की गई जिसमें विशेष प्रकार से संस्था के सभी सदस्य उपस्थित हुऐं, जिसमें दीपक बौद्ध, विजयती राही, संगीता गौतम, आरती सूर्यवंशी जी शामिल हुयी।

1. मीटिंग के दौरान संस्थान के कुछ मूल–भूत तत्वों पर चर्चा की गई जिसमें बताया गया कि हमें किन–किन मुद्दों पर बात करनी चाहिऐ।
2. स्वास्थ्य को लेकर कुछ जरूरी जानकारी दीं गई।
3. लोन के विषय पर विस्तार से चर्चा की गई।
4. राजनैतिक स्तर पर चर्चा हुयी थी।
5. संस्थान को आगे बढ़ाने के लिये म0प्र0, उ0प्र0 दोनों प्रदेशों में काम करने की चर्चा की गई।

1.	दीपक कुमार बौद्ध,	2.	विजयती राही,	3.	संगीता गौतम
4.	पूजा राजा	5.	मुस्कान	6.	रश्मि
7.	दीक्षा	8.	राजकुमार	9.	विजय पाल
10.	संजय	11.	विशाल	12.	कपिल अहिरवार
13.	प्रदीप	14.	सूरज	15.	महेन्द्र

आज दिनांक 24.06.2025 को एक मीटिंग की गई जिसमें तालबेहट क्षेत्र से 4 कार्यकर्ता शामिल हुऐं जिनका नाम उर्मिला, जनक, प्रीति, शिरोमणि अपना–अपना रिकार्ड लेकर समाज कलयाण बेरोजगार एवं मजदूर सेवा संस्थान में उपस्थित हुए–जिसमें फील्ड वर्क कार्यकर्ताओं को आने–जाने का किराया रु0–400 दिया गया, साथ ही साथ 50–50 पैड सेनेटरी पैकेट दिये–

1. उर्मिला – 50 पैकेट
2. जनक – 50 पैकेट
3. प्रीति – 50 पैकेट
4. शिरोमणि – 50 पैकेट

आज दिनांक 03.07.2025 को एक सामाजिक बैठक का आयोजन समाज कल्याण बेरोगार और मजदूर सेवा संस्थान में समय 12 बजे किया गया, जिसमें मौजूद सभी संस्था के कार्यकर्ता एवं राजनैतिक दल के नेता जी श्री गन्धर्व बाबू शामिल रहे।

बैंक के दौरान संस्था में महिला स्वास्थ्य के लेकर एवं विभिन्न प्रकार की जानकारी दी गई।

धन्यवाद।

1.	संगीता	2.	सविता	3.	पूजा	4.	विजयती
5.	मुस्कान	6.	दीक्षा	7.	राजकुवंर	8.	दीक्षा यादव
9.	रश्मि	10.	रंजना	11.	खुशबु राजा	12.	दीपक बौद्ध
13.	गन्धर्व बाबू जी						

आज दिनांक 06.07.2025 दिन रविवार को एक राजनैतिक भारतीय कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक (संकल्प) या शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें पार्टी के सभी नेता उपस्थित रहें। मीटिंग में संस्था के प्रमुख प्रबंधक श्री दीपक कुमार बौद्ध और विजयती राही और पार्टी के नेतागण उपस्थित रहे जिसमें कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष और मण्डल प्रभारी महिला जिलाध्यक्ष आदि शामिल थें, चर्चा के दौरान नवनियुक्त पदाधिकारी को पार्टी के नेताओं ने शपथ ग्रहण करवाया।

धन्यवाद।

दिनांक 06.07.2025 दिन रविवार को लक्ष्मण सिंह सभागार में एस0सी0/एस0टी0 व सेवानिवृत्त व नये पुलिस कम्रियों व आई0आई0टी0 और नीट, इण्टरमीडिएट के छात्र–छात्राओं को सम्मानित किया गया जिसमें 500+ लोगो का सम्मान हुआ, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल थें। मीटिंग में चर्चा के दौरान मुख्य अतिथि रामरतन कुशवाहा जी द्वारा शिक्षा को आगे बढ़ाने और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुये शुभकामनाऐं और बधाई दी गई जिससे शिक्षा को और आगे बढ़ावा मिलें। कार्यक्रम के मुख्य आयोजक–शक्ति सिंह अहिरवार जी ने मेधावी छात्र–छात्राओं को प्रमाण पत्र व सील्ड देकर बधाई दी।

आज दिनांक 16.07.2025 को समाज कल्याण बेरोजगार मजदूर सेवा संस्थान में महिलाओं को स्वास्थ्य पर ध्यान देने और अच्छी सेहत बनाये रखने के लिए एक जागरूक अभियान का आयोजन किया, जिसमें ललितपुर जिले के वरिष्ठ नेता, सम्मानीय अर्चना पटेल, राज्य आयोग सदस्य और साथ ही साथ भागीरथ वरूआ जी उपस्थित रहे। समाज कल्याण बेरोजगार मजदूर सेवा संस्थान में संस्था के प्रबन्धक श्री दीपक कुमार बौद्ध, अध्यक्ष संगीता गौतम, सचिव विजयती राही, उपाध्यक्ष कपिल अहिरवार और संस्था के सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

संस्था में कार्यक्रम के दौरान संवैधानिक और मौलिक अधिकारों की बात की गई इसके बाद अर्चना पटेल जी के द्वारा कार्यक्रम का समापन किया।

आज दिनांक 01.03.2022 में ग्राम पंचायत बरखेरा में स्वरोजगार से जुडने का लक्ष्य एवं कौशल प्रशिक्षण समाज कलयाण बेरोजगार मजदूर सेवा संस्थान द्वारा दिये गऐ, जिसमें ग्रामीण के सारे बच्चों को स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया।

प्रशिक्षण के दौरान योग्य बच्चों को उद्योग विशिष्ठ कौशल प्रशिक्षण, बच्चों के लिए कम्प्यूटर सेंटर आदि जैसे प्रशिक्षण, समाज कल्याण बेरोजगार मजदूर सेवा संस्थान द्वारा दिये जाते है।

संस्थान के मैनेजर ने चर्चा के दौरान कहा कि हम संस्थान से सफल स्किल सार्वेक्षण पर मुफ्त प्रशिक्षण और मौद्रिक प्रोत्साहन दिया जायेगा।

इसी दौरान स्वामी विवेकानन्द युवा संशक्तिकरण योजना के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के बारे में योग्य और पात्रता वाले केन्डीडेट को आवेदन करने के लिये कहा है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन योजना के बारे में कौशल दिशा निदेश दिये।

आज के ही दिन ग्राम पंचायत बरखेरा में ही सामुदाए के लोग निर्णय लेने में समक्ष रहें।

संस्थान एवं बेरोजगार सर्वेक्षण रोजगार सृजन समाज कल्याण बेरोजगार मजदूर सेवा संस्थान द्वारा सर्वेक्षण जनपद ललितपुर के बेरोजगारी दूर करने हेतु भारत सरकार के निर्देशानुसार पढ़े लिखे व्यक्तियों को एवं मजदूरों को जागरुक

करने एवं कार्य दक्षता में निपुण कर स्वावलम्बी बनाने हेतु कार्य कर रही है। बेरोजगारों, मजदूर एवं किसान पंजीयन के बाद संस्था लाभार्थियों को प्रोत्साहित करेगी व जॉब पोर्टल से जोड़ने हेतु सूचना देगी। इसी के साथ संस्थान द्वारा ग्राम पंपंचायत से लगभग 100 युवा बेरोजगारो एवं मजदूर किसान साथियों का पंजीयन कर इन्हें रोजगार व स्वरोजगार से जोड़ने हेतु आपके सहयोग की आंकाक्षी है जिससे कि ग्राम पंचायत के बेरोजगार एवं मजदूरों को रोजगार मिल सकें।

इस महान कार्य में संस्था एवं ग्राम पंचायत के सभी श्रमिकों का सहयोग एवं बेहद अपेक्षा रखती है।

ग्राम पंचायत –आलापुर / ऐरा

1. आज दिनांक 01 फरवरी दिन शनिवार को आलापुर ग्राम पंचायत में आंगनबाड़ी केन्द्र पर आंगनबाडी कार्यकर्ता से मुलाकात की गई, जिसमें किशोरियों के स्वास्थ्य को लेकर चर्चा की और उन्होने चर्चा के दौरान बताया कि आंगनबाड़ी केन्द्र से किशोरी शक्ति योजना के तहत आयरन की टेबलेट वितरित की। किशोरियों को पोषण सम्बन्धी और सरकारी सप्लीमेंट प्रावधान दिए जाते हैं

2. 4 फरवरी 2026 को ग्राम पंचायत जमुनिया में ग्राम प्रधान, सहायक पंचात और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं आशा और समाज कल्याण बेरोजगार सेवा संस्थान द्वारा हमारी साथी पूजा राजा ने समुदाए की कुछ महिलाओं के साथ मिलकर नक्शा / मेप को बनाया।

3. 5 फरवरी 2026 को ग्राम पंचायत आलापुर में आंगनबाड़ी और आशा के साथ मुलाकात की गई जिसमें गर्भवती और किशोरियो व बच्चे के पोषण आधार पर चर्चा की गई और वहा की जनसंख्या पूछी गई, बच्चों से जुड़े खेल से सम्बन्धित केन्द्र पर क्या–क्या सामग्री उपलब्ध है, उसके बारे में जानकारी ली गयी।

4. 07 फरवरी 2026 को ग्राम पंचायत बारौद में आंगनबाड़ी केन्द्र गांधी नगर में आशा कार्यकर्ता, सहायिका, आंगनबाडी कार्यकर्ता और महिलाओं व बच्चों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा बताया गया कि नेटवर्क समस्या होने के कारण वहां केवाईसी अपडेट नहीं हो रही है जिस वजह से बच्चों को पोषण आहार नहीं मिल पा रहा है और भारतीय संविधान की मौलिक अधिकारों का हनन व बच्चे वंचित हो रहे है। अनु0 21 के तहत वहां के बच्चो का

हनन हो रहा है, जिस वजह से बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है और कई बच्चों को पोषण आहार एनिमिया की कमी के शिकार पाए गए है।

5. फरवरी 2026 को ग्राम पंचायत बारौद में गांधी नगर सचिवालय में वहां की सहायक पंचायत महिला से बातचीत की, जिसमें सरकारी योजनाओं के विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। राशन कार्ड, आधार कार्ड, विधवा पेंशन, वृद्धापेंशन, पैनकार्ड, आयुष्मान कार्ड, श्रम कार्ड आदि जैसे दस्तावेजों के बारे में जानकारी दी और विस्तार से बातचीत की गई।

6. 11 फरवरी 2026 को ग्राम पंचायत ऐरा के एस0सी0 समुदाए के साथ बैठक की गई जिसमें पंचायत में एक ग्राम प्रधान सरकारी योजनाओं पर चर्चा की गई । गॉव की महिलाओं ने बताया कि वहां के कुछ लोग ऐसे है जिनके पास राशन नहीं है उनको खाद्य पूर्ति विभाग से जोड़ने का कार्य या आवेदन करेगें, मौलिक अधिकार के तहत हनन हुआ।

7. ग्राम पंचायत जीरौन में 13 फरवरी 2026 को महिलाओं एवं लड़कियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें से महिलाओं एवं युवा बेरोजगार लोगो को स्वरोजगार से जुडने के लिये युवा उद्यमी योजना के बारे में आवेदन करने के लिये अधिक से अधिक जानकारी दी।

8. 16 फरवरी 2026 को ग्राम पंचायत आलापुर में महिलाओं के साथ बैठक की गई जिसमें गांव की समस्या के बारे में जानकारी ली।

9. आज दिनांक 18 फरवरी को ग्राम पंचायत पडोरिया में एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें हमारे साथी कंचन, सोनम आदि ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका और समुदाए की महिलाओं के साथ बातचीत हुयी जिसमें आंगनबाड़ी में बच्चों की एवं गांव की समस्याओं पर बातचीत हुयी। इसी के साथ आंगनबाड़ी केन्द्र पर बच्चों की संख्या के बारे में, गर्भवती महिलाओं के बारे में और किशोरियों के बारे में और धात्री महिलाओं के बारे में जानकारी ली और सरकारी योजनाओं के बारे में बताया।

10. 17 फरवरी 2026 को ग्राम पंचायत बारौद में महिलाओं और लड़कियो के साथ बातचीत की गई तथा वहां की समस्याओं के बारे में बात की गई, जिसमें वहां की जनसंख्या और बाल विकास के द्वारा सरकारी योजनाओ ंपर मिलने वाले लाभ पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई।

11. 19 फरवरी 2026 को ग्राम पंचायत पडोरिया में किशोरियों के साथ बातचीत की और वहां की समस्याओं के बारे में जाना तथा शिक्षा के विषय में बात की।

12. 20 फरवरी 2026 को ग्राम पंचायत आलापुर में प्रधान जी एवं मनरेगा मेट के साथ एक बैठक का आयेाजन किया गया जिसमें सरकारी योजनाओं और गॉव के विकास के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।

13. 21 फरवरी 2026 को ग्राम पंचायत ऐरा में पंचायत भवन में एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें गॉव में चल रहे विकास के ऊपर चर्चा की गई तथा सकरारी योजनाओं के बारे में चर्चा की गई एवं गॉव की समस्याओं के बारे में चर्चा की गई।

14. 23 फरवरी 2026 को ग्राम पंचायत मेरती में समुदाए के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें गॉव की विकास एवं सरकारी योजनाओं पर चर्चा की गई।

15. फरवरी 2026 को ग्राम पंचायत आलापुर में आंगनबाड़ी और बच्चों के साथ एक बैठक की गई जिसमें सरकारी योजनाओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई

16. फरवरी 2026 को ग्राम पंचायत मेरती में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें सरकारी योजनाओं और गॉव के विकास के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी ली गई।

संस्था की पृष्ठभूमि एवं संक्षिप्त परिचय

समाज कल्याण बेरोजार एवं मजदूर सेवा संस्थान एक सामाजिक विकास सेवा संस्थान के रूप में लगभग 8 वर्षो से असहनीय कार्य एवं अनुचित रूप से कार्य कर रही है। जैसे कि गरीबी और असमानता के बीच रह रहे समुदाए के जीवन यापन में सकारात्मक और स्थाई परिवर्तन हेतु सजृन का कार्य कर रहा है। समग्र ग्रामीण विकास हेतु 1986 में परिकल्पित संस्था 2017 में वैधानिक रूप से स्थापित हुए, संस्था की उत्पत्ति की जड़े ग्राम विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, सुखी, सम्बद्ध, शिक्षा, उन्नत खेती, कौशल विकास, अचार निर्माण, मोबाइल रिपेरिंग, कम्प्यूटर, लघु कुटीर उद्योग स्थापित कर अजीविका में सुधार, बेरोजगार युवा अर्द्धसरकारी, प्राईवेट संस्थानों में नौकरी एवं भरण पोषण आदि महिलाओं को उचित सम्मान, मौलिक अधिकार, जलवायु परिवर्तन द्वारा मुद्‌दां पर कार्य किया जायेगा। सभी विकास हस्तक्षेपको परिपक्य पंक्तिबद्ध एवं श्रेणी बद्ध करते हुए स्थाई विकास गोल को सूत्रबद्ध कर यात्रा प्रारम्भ की जायेगी एवं अपने सहयोगी के साथ विमर्श कर कुछ संकलन कर कार्य को पुनः समन्वित किया जायेगा। अपने कार्य को महिला एवं किशोरियों सशक्तिकरण, बाल विकास, स्वास्थ्य पोषण एवं स्वच्छता के मूल धरातल पर अवलम्बित जेंडर और स्वशासन सुनिश्चत किया जायेगा।

सीखते है हम निरंतर कार्य के निर्माण से
शोध कर संधान करना, लक्ष्य के निर्माण से
गढ़ रहे है, सूत्र दीपक काल के प्रस्थान से
लिख रहे है गीत दीपक लोके उत्थान से।

समाज कल्याण बेरोजगार एवं मजदूर
सेवा संघ

विषय-वस्तु

1. पंचायतों का इतिहास एवं विकास उ0प्र0 / म0प्र0
2 सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक स्तर पर बदलाव
3. शिक्षा, बेरोजगार, स्वरोजगार आदि जैसे मद्दों पर विकास
4. महिलाओं को उचित सम्मान तथा अधिकार मिले उनकी शारीरिक सामाजिक, आर्थिक स्थिति में सुधार।
5. पंचायती राज व्यवस्था पर गठित विभिन्न समितियां एवं उनकी सिफारिशें।
6. उत्तर प्रदेश में।

समाज कल्याण बेरोजगार मजदूर सेवा संस्थान ललितपुर
(उ0प्र0, म0प्र0)
स्व-घोषणा पत्र

मैं..परिजन / संतान..हूँ। मेरा चयन समाज कल्याण बेरोजगार एवं मजदूर सेवा संस्थान में..................................स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य नारी, सुखी परिवार के अन्तर्गत फेलो के रूप में किया गया है। मेरे द्वारा यह घोषणा की जाती है कि इस कार्यक्रम में फेलोशिप की अवधि के दौरान मैं अपना कार्य ईमानदारी एवं पूर्ण निष्ठा भाव से करूँगी।

उक्त कथन के उल्लंघन की स्थिति में संस्था द्वारा मेरी फेलोशिप किसी भी समय समाप्त करने का निर्णय मान्य होगा।

पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

दिनांक–

समय–

स्थान–

उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख योजनाऐं

1. महिला एवं बाल विकास।

    1. मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना।
    2. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना।
    3. मातृ शिशु एवं बालिका मदद योजना।

2. किसान और कृषि–

    1. विज्ञान एवं कृषि।
    2. निःशुल्क बोरिंग योजना।
    3. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि

3. सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण–

    1. राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना।
    2. वृद्धावस्था पेंशन योजना।
    3. दिव्यांगजन भरण–पोषण अनुदान

4. युवा और रोजार

    1. उ0प्र0 कौशल विकास मिशन।
    2. मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना
    3. कौशल सतरंग योजना।

5. शिक्षा

    1. छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना
    2. राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय

मौलिक अधिकार एवं महिला सशक्तिकरण

:– यह अभियान महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और सामाजिक, राजनीतिक, भागीदारी में पुरूषों के बराबर लाने का प्रयास है।

:– मौलिक अधिकारों में महिला सशक्तिकरण के प्रमुख बिंदू इस प्रकार है–

1. संवैधानिक प्रावधान–

1. अनु0–14 (समानता का अधिकार)
2. अनु0–15 (भेदभाव का विरोध)
3. अनु0–16 (अवसर की समानता)
4. अनु0–21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता)
5. अनु0–23 (शोषण के विरूद्ध)

2. मुख्य महिला सशक्तिकरण अभियान/प्रयास–

1. मुख्य महिला सशक्तिकरण मिशन
2. बेटी बचाओ–बेटी पढ़ओं
3. मिशन शक्ति

3. कानूनी सुरक्षा और अधिकार–

1. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण
2. कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न
3. समान परिश्रमिक अधिनियम 1976

4. महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य–

1. महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना
2. आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक स्तर में सुधार करना
3. निर्णय लेने की प्रक्रिया में स्वतंत्रता सुनिश्चित करना।

मध्य प्रदेश सरकार की प्रमुख योजनाऐं

1. राशन कार्ड/खाद्य नागरिक आपूर्ति और अयोक्ता विभाग–

दस्तावेज

1. आधार कार्ड
2. वोटर कार्ड
3. पेनकार्ड,
4. निवास
5. आय/जाति
6. बिजली बिल
7. परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड,
8. परिवार रजि0 की नकल
9. शपथ पत्र–समग्र आई0डी
10. बैंक खाता विवरण
11. शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र।

2. म0प्र0 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय/भारत सरकार (वृद्धा पेंशन योजना)–

1. आधार कार्ड
2. राशन कार्ड,
3. आय प्रमाण पत्र
4. बैंक पासबुक (आधार कार्ड और मो0नं0 लिंक होना चाहिए)
5. पासपोर्ट साइज फाटो
6. जन्म प्रमाण पत्र
7. वोटर आईडी कार्ड
8. समग्र आई0डी0
9. बी0पी0एल0 कार्ड

3. म0 प्र0 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (उज्जवला गैस कनैक्शन) –

1. आधार कार्ड
2. राशन कार्ड,
3. बी0पी0एल0 सूची में नाम

4. बैंक पासबुक (आधार कार्ड और मो0नं0 लिंक होना चाहिए)
5. पासपोर्ट साइज फाटो
6. जन्म प्रमाण पत्र
7. मोबाइल नम्बर

4. <u>म0प्र0 स्कॉलरशिप योजना–</u>

1. समग्र आई0डी0
2. आधार कार्ड,
3. पासपोर्ट फोटो
4. आय प्रमाण पत्र
5. जाति प्रमाण पत्र
6. डोमिसाइल प्रमाण पत्र
7. कक्षा–10 और 12 की मार्कशीट
8. एडमिशन लेटर
9. फीस रसीद
10. बैंक पासबुक

5. <u>(जनसुनवाई योजना)म0प्र0 संचालन तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग–</u>

1. आधार कार्ड
2. मोबाइल नम्बर
3. नाम और पता
4. शिकायत का विवरण
5. सम्बन्धित दस्तावेज (यदि कोई हो तो पी0डी0एफ0/जेपीजी/जेपीईजी/पीएनजी फार्मेट में अपलोड करें)

6. <u>युवा इंटरशिप योजना–</u>

1. आधार कार्ड,

2. वोटरकार्ड,

3. बैंक खाता विवरण

4. शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र (मार्कशीट, डिग्री आदि)

5. मुल निवास प्रमाण पत्र

6. आय प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो)

7. जाति प्रमाण पत्र

8. मोबाइल नम्बर

9. ई–मेल आई0डी0

10. प्रोजेक्ट रिपोर्ट

11. पैनकार्ड

7. म0प्र0 बाल विकास योजना।

8. राज्य युवा कल्याण विभाग योजना।

9. डॉ0 भीमराव अम्बेड़कर आर्थिक मदद योजना।

10. अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण योजना।

11. मध्य प्रदेश उपार्जन योजना सहकारित विभाग।

12. जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन विभाग/उद्योग विभाग मध्य प्रदेश ।

संस्थान में प्रवेश हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया एवं आवेदन का प्रारूप

SAMAJKALYAN BEROJGAR AVAM MAJDOOR SEWA SANSTHAN

(समाज कल्याण बेरोजगार एवं मजदूर सेवा संस्थान)

बाईपास के आगे, रौठोर मुहल्ला, मिशन हॉस्पिटल के पास, खुरई जिला सागर (म0प्र0), मुख्य शाखा ललितपुर (उ0प्र0)
Registration No.- R-847/2016, website : samajkalyanbms.in, e-mail: info@samajkalyanbms.in
e-mail: samajkalyanbms@gmail.com Mob.: 6307177949

Ref. No. - SBM/MP/2022-23/24

आवेदन-फार्म

क्र0 दिनांक-............................

1. जिला........................ 2. तहसील........................ 3. ब्लॉक........................
4. ग्राम पंचायत........................ 5. ग्राम........................ 6. मुहल्ला........................
7. आधार नं0....................................
8. नाम.. उम्र................ जाति........................
9. पिता/पति का नाम...
12. श्रेणी........................ मोबाइल नं0-...
13. शैक्षिक योग्यता.. 14. अन्य योग्यता..

परिवार का विवरण

नाम	पिता/पति का नाम	मुखिया से सम्बन्ध	उम्र

प्रमाणित किया जाता है कि आप समाज कल्याण बेरोजगार एवं मजदूर सेवा संस्थान में विधिवत प्राथमिक सदस्य बना दिये गये हैं।

जिसमें आप संस्था द्वारा समय-समय पर महिलाओं, बेरोजगारों एवं मजदूरों के हित में किये जा रहे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने हेतु प्राप्त होंगे।

घोषणा

सहर्ष आपको सूचित किया जाता है कि आपने संस्था में सदस्यता ग्रहण कर ली है जो कि अपना इस सदस्यता के साथ-साथ संस्था में पंजीयन किया जाता है। इस पंजीयन के होते ही आप उन सभी लाभों को प्राप्त करने के लिए पात्र हो गये हैं, जो संस्था द्वारा समय-समय पर दिलाये जाते हैं। सदस्यता राशि 500/- रूपये एवं आजीवन सदस्य 1000/- रूपये के साथ सामान्य सदस्य स्वीकृत हुये हैं।

ह0 आवेदनकर्ता................................ हस्ताक्षर..............................

संस्थान में प्रवेश हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया एवं आवेदन का प्रारूप

SAMAJKALYAN BEROJGAR AVAM MAJDOOR SEWA SANSTHAN

(समाज कल्याण बेरोजगार एवं मजदूर सेवा संस्थान)

बाईपास के आगे, रीठोर मुहल्ला, मिशन हॉस्पिटल के पास, खुरई जिला सागर (म0प्र0), मुख्य शाखा ललितपुर (उ0प्र0)

Registration No.- R-847/2016, website : samajkalyanbms.in, e-mail: info@samajkalyanbms.in

e-mail: samajkalyanbms@gmail.com Mob.: 6307177949

Ref. No. - SBM/MP/2022-23/24

आवेदन-फार्म

क्रं0 दिनांक-..............................

1. जिला........................ 2. तहसील.........................3. ब्लॉक........................
4. ग्राम पंचायत........................5. ग्राम........................6. मुहल्ला..................
7. आधार नं0...................................
8. नाम..उम्र...............जाति..........................
9. पिता/पति का नाम..

12. श्रेणी.........................मोबाइल नं0-..
13. शैक्षिक योग्यता...14. अन्य योग्यता...................................

परिवार का विवरण

नाम	पिता/पति का नाम	मुखिया से सम्बन्ध	उम्र

प्रमाणित किया जाता है कि आप समाज कल्याण बेरोजगार एवं मजदूर सेवा संस्थान में विधिवत प्राथमिक सदस्य बना दिये गये हैं।

जिसमें आप संस्था द्वारा समय-समय पर महिलाओं, बेरोजगारों एवं मजदूरों के हित में किये जा रहे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने हेतु प्राप्त होंगे।

घोषणा

सहर्ष आपको सूचित किया जाता है कि आपने संस्था में सदस्यता ग्रहण कर ली है जो कि अपना इस सदस्यता के साथ-साथ संस्था में पंजीयन किया जाता है। इस पंजीयन के होते ही आप उन सभी लाभों को प्राप्त करने के लिए पात्र हो गये हैं, जो संस्था द्वारा समय-समय पर दिलाये जाते हैं। सदस्यता राशि 500/- रूपये एवं आजीवन सदस्य 1000/- रूपये के साथ सामान्य सदस्य स्वीकृत हुये हैं।

ह0 आवेदनकर्ता................................ हस्ताक्षर..............................

SAMAJ KALYAN BEROJGAR AVAM MAJDOOR SEWA SANSTHAN

(समाज कल्याण बेरोजगार एवं मजदूर सेवा संस्थान)

बाईपास के आगे, रीठोर मुहल्ला, मिशन हॉस्पिटल के पास, खुरई जिला सागर (म0प्र0)

मुख्य शाखा ललितपुर (उ0प्र0)

Reg. No.- R-847/2016, website : samajkalyanbms.in, e-mail: info@samajkalyanbms.in, samajkalyanbms@gmail.com Mob.: 6307177949

कार्यकर्ता का नाम–..मो0नं0–...............................ग्राम...................................ब्लॉक............................जनपद–..................................दिनांक..................

क्र0	नाम	पिता/पति का नाम	जाति	समस्या	योजना	परिवारजन संख्या	मो0नं0	सरकारी लाभ	सम्बन्धित विभाग
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.									
14.									
15.									
16.									
17.									
18.									
19.									
20.									

<u>घोषणा</u> :–सहर्ष आपको यह सूचित किया जाता है कि आपने संस्था में सदस्यता ग्रहण कर ली है जोकि अपना इस सदस्यता के साथ संस्था में पंजीयन किया जाता है। इस पंजीयन के होते ही आप उन सभी लाभों को प्राप्त करने के लिये पात्र हो गये हैं, जो संस्था द्वारा समय–समय पर दिलाये जाते हैं। सदस्यता राशि 100/– रू0 एवं 100/–रू0 अंशदान मात्र 200/– रू0 प्रतिवर्ष के साथ सामान्य 3 वर्ष के लिए आप स्वीकृत हुये हैं।

समाज कल्याण बरोजगार एवं मजदूर सेवा संस्थान
बीना, सागर (म0प्र0)

<u>क्या आप चाहते हैं :-</u>

- ✓ आपकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति मजबूत हो और आप अपना स्वयं का रोजगार करें।
- ✓ आपका परिवार स्वास्थ्य, सुखी एवं समृद्ध बनें।
- ✓ आपके बच्चों की शिक्षा का उचित प्रबन्ध हो और उनका भविष्य उज्जवल बने।
- ✓ आप उन्नत खेती करके या कुछ हुनर (सिलाई, कढ़ाई, सब्जी की खेती, दोना निर्माण, अचार निर्माण, मोबाइल रिपयेरिंग, कम्प्यूटर आदि) सीखकर या अन्य लघु, कुटीर उद्योग स्थापित कर आजीविका कमा सकें और आपका जीवन स्तर सुधरे।
- ✓ बेरोजगार युवा साथी स्वयं का व्यापार या सरकारी, अर्द्ध सरकारी, प्राइवेट संस्थानों में नौकरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करें।
- ✓ महिलाओं को उचित सम्मान तथा अधिकार मिले एवं उनकी शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति में सुधार हो।

<u>संस्थान द्वारा बेरोजगार युवा साथियों का पंजीकरण किया जा रहा है अत: सभी बेरोजगार महिला एवं पुरूषों से अनुरोध है कि आप सभी संस्था में पंजीकरण अवश्य करायें।</u>

<u>पंजीकरण आवश्यक क्यों ?</u>

ग्रामीण क्षेत्रों में जॉब की सूचना नहीं मिलने के कारण युवा साथी रोजगार से वंचित है।

<u>पंजीकरण से होने लाभ :-</u>

- ➢ संस्था की एक वर्ष की सदस्यता प्राप्त हो जायेगी।
- ➢ प्रत्येक सदस्य की सेवायोजना कार्यालय के ऑनलाइन जॉब सीकर पोर्टल पर संस्था द्वारा पंजीकरण किया जायेगा जिससे लॉब या रोजगार/व्यवसाय सम्बन्धी जानकारियां प्राप्त होगी।
- ➢ सरकारी एवं गैर सरकारी विभागों/कम्पनियों में संस्था द्वारा नि:शुल्क आवेदन किये जायेंगे।
- ➢ जॉब से सम्बन्धित प्रत्येक सूचनायें ई-मेल या फोन द्वारा आपको प्रेषित की जायेगी।
- ➢ सूक्ष्म एवं लघु उद्योग लगाने हेतु संस्था द्वारा दिशा-निर्देश एवं सहायता की जायेगी।
- ➢ संस्था द्वारा संचालित विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे- पर्सनाल्टी डेबलपमेन्ट प्रशिक्षण, कौशल विकास प्रशिक्षण, विधिक साक्षरता कार्यक्रम, प्रतिभा निखार कार्यक्रम, व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में सिलाई प्रशिक्षण नि:शुल्क प्रदान किया जायेगा।